न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः249 / 2018 / 225(2018 / 00249)

1. बैजनाथ उर्फ बैनाथ पुत्र भूरा, जाति जाट, नि0 दण्ड का रास्ता, केकड़ी तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. मुमताज पत्नि अल्लादीन,
2. अब्दुल गफार पुत्र अल्लादीन,
3. सदीक पुत्र अल्लादीन,
4. मंजूर पुत्र अल्लादीन,
5. मुन्ना पुत्र अल्लादीन,
6. शरीफ पुत्र अल्लादीन,
7. रईसा पुत्री अल्लादीन,
8. खुर्शीदा पुत्री अल्लादीन,
9. रूखसाना पुत्री अल्लादीन,

समस्त जाति मुसलमान, निवासी केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी , दिनांक 15.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 139 / 2017 .

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील रेस्पोडेंटस ।

निर्णय

दिनांकः—22.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 15.5. 2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस / प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 5526 एवं 5527 उनकी खातेदारी की आराजियात है एवं खसरा नंबर 5509 अपीलांट / अप्रार्थी की आराजी है तथा खसरा नंबर 5510 सिवायचक भूमि है । रेस्पो0 ने खसरा नंबर 5509 एवं 5510 में से नया रास्ता स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अपने निर्णय दिनांक 15.5.2018 द्वारा रेस्पोडेंटस का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 में अपने जवाब के साथ एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया था कि पूर्व में प्राप्त मौका रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट को सूचित नहीं किया गया था इसलिये उक्त रिपोर्ट को रिकार्ड पर नहीं लिया जावे तथा अपीलांट की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे । अधी0न्याया0 ने अपीलांट के इस प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया तथा दिनांक 26.4.2018 को मूल प्रकरण में बहस नहीं होने के बावजूद प्रकरण की बहस सुनी जाना अंकित कर पत्रावली आदेश में नियत कर दी तत्पश्चात् दिनांक 15.5. 2018 को बिना किसी आधार पर रेस्पोडेंटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है जबकि न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिये । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंटस के खातेदारी खेतों में आवागमन हेतु पहले से रास्ता मौजूद है ऐसी स्थिति में रेस्पो0 की सुविधा के लिये नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 की प्लीडिंग से बाहर जाकर अनुतोष प्रदान किया है । अधी0न्याया0 ने मौके की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर तथा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 15.5.20158 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 में उनके अधिवक्ता ने प्रार्थी को निर्णय की सूचना नहीं जिससे प्रार्थी को निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी थी । स्वंय प्रार्थी ने दिनांक 23.7.2018 को अपने अभिभाषक से जाकर संपर्क किया तब अधिवक्ता ने बताया कि प्रकरण का फैसला प्रार्थी के विरूद्ध हो चुका है । प्रार्थी ने दिनांक 23.7.2018 को नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 23.7.2018 को नकल प्राप्त होने पर फीस की व्यवस्था कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 9 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पोडेंटस की खातेदारी आराजी संख्या 5526 व 5527 में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 5509 व 5510 में से है तथा रेस्पो0 इसी रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है। तहसीलदार ने स्वंय रास्ते दिये जाने के संबंध में मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की है जिसमें अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 5509 एवं 5510 सिवायचक भूमि की पूर्वी मेड़ से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है । रेस्पो0 ने रास्ते की भूमि बाबत् 60,000/—रू0 जमा करवा दिये है । अपीलांट ने मौका रिपोर्ट बाबत् जो आपत्ति अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत की थी वह निरस्त की जा चुकी है । अधी0न्याया0 ने धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अंतर्गत ही रास्ते के आदेश पारित किये है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को

सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । रेस्पोडेंटस/प्रार्थीगण खसरा नंबर 5526 व 5527 के खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नंबर 5509 अपीलांट की खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नंबर 5510 सिवायचक भूमि है । रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र धारा 251–ए प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया तथा तहसीलदार, केकड़ी को रास्ते बाबत् मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देश दिये गये थे । तहसीलदार, केकड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.3.2018 अधी0न्याया0 को प्रेषित कर रेस्पो0 की खातेदारी आराजी संख्या 5527 रकबा 0.61 है0 में आने जाने हेतु खसरा नंबर 5509 की पूर्वी भुजा मुख्य रास्ते से कम दूरी पर स्थित होना दर्शाया है जिसकी दूरी 90 मीटर है तथा इसके विपरीत पश्चिमी दिशा से खसरा नंबर 5509 से 116 मीटर लंबा रास्ता होना दर्शाया है । तहसीलदार, केकड़ी की उक्त मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 5509 की पूर्वी भुजा से खसरा नंबर 5527 में रास्ता कम दूरी का है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है कि खातेदार की आराजी में आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर खातेदार सुविधाजनक रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है । इसके अतिरिक्त अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष अथवा न्यायालय हाजा के समक्ष किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जिसका रेस्पोडेंटस पूर्व से उपयोग उपभोग कर रहे है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी का निर्णय दिनांक 15.5.2018 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केककड़ीका आदेश दिनांक 15.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर